उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ
(राजकीय निर्माण एजेन्सी)
आई.एस.ओ. 9001:2008

ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण सम्बन्धी नियमावली

पंजीकृत कार्यालयः जी 4/5–बी, सेक्टर–4,
गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ–226010

दूरभाषः 7991203501, 7991203502 (PBX)

Website:uprnss.org

उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ
ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु नियमावली

चैप्टर–1

पंजीकरण का उद्देश्य एवं विभिन्न प्रक्रिया इत्यादि

1–1 इस नियमावली का उद्देश्य मान्यता प्राप्त ऐसे ठेकेदारों की सूची तैयार करना एवं इनका रख–रखाव करना है, जो विभिन्न प्रकार एवं परिमाण के कार्यो को उचित समय पर निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार करने में सक्षम हो। इससे इन क्षेत्रों में सम्बन्धित पक्षकार यानि ठेकेदार को मान्यता प्राप्त होती है।

1–2 सूचीबद्ध ठेकेदारों को अनुमन्य सुविधाए–

1–2(i) सूचीबद्ध ठेकेदार यूपीआरएनएसएस की 'मेलिंग लिस्ट' में रखे जाएंगे तथा निविदा सूचनाओं की प्रतियां निःशुल्क उन ठेकेदारों के पते पर रजिस्टर्ड भेजी जाएगी जो उस श्रेणी में कार्य करने के लिए पंजीकृत है।

1–2(ii) सूचीबद्ध वह ठेकेदार निर्धारित स्थायी धरोहर राशि जमा करके किसी निविदा विशेष की धरोहर धनराशि से अपनी इच्छानुसार छूट प्राप्त कर सकता है।

1–2(iii) निविदा प्रपत्र की एक–एक प्रति सूचीबद्ध ठेकेदारों को उनके अनुरोध पर एवं निर्धारित मूल्य का भुगतान करने पर बिना किसी अग्रिम छानबीन के उपलब्ध कराई जाएगी। निविदा प्रपत्र की प्रति ऐसे असूचीबद्ध ठेकेदारों, जो उसी ग्रुप के कार्य हेतु उसी श्रेणी जिसके लिए यूपीआरएनएसएस द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जा रही हों, में लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेलवे, विकास प्राधिकारणों अथवा नगर निगमों आदि में पंजीकृत हो, को निर्धारित मूल्य का भुगतान करने पर उचित छानबीन के उपरान्त उपलब्ध कराई जा सकती है, परन्तु वे इस सुविधा का लाभ अनिवार्य रूप से एवं अधिकार स्वरूप नहीं उठा सकेंगे। इस सम्बन्ध में निविदा विशेष हेतु जारी नोटिस के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही होगी। ऐसे मामलों में निविदा प्रपत्र निर्गत करने या ऐसी प्रार्थना अस्वीकार करने का अधिकार यूपीआरएनएसएस के पास सुरक्षित रहेगा और प्रार्थना अस्वीकार करने के सम्बन्ध में सूचीबद्ध/असूचीबद्ध ठेकेदार स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता।

1–3 प्रक्रिया

1–3(i) सूचीबद्धता के इच्छुक ठेकेदार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दे सकते है, जो निविदा सूचना में निर्धारित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन–पत्र वांछित शुल्क सहित यूपीआरएनएसएस के निर्धारित कार्यालय (मुख्य अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/परियोजना अभियन्ता) में जमा किए जा सकते है।

1–3(ii) आवेदन पत्र पर निर्णय से ठेकेदार को सीधे सक्षम अधिकारी द्वारा अवगत कराया जाएगा और प्रार्थना स्वीकार होने की स्थिति में एक निर्धारित शुल्क जमा हो जाने पर ठेकेदार का नाम पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो की सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

1–3(iii) सूचीबद्ध ठेकेदार द्वारा निर्धारित स्थायी धरोहर धनराशि जमा करने की स्थिति में उस ठेकेदार को किसी निविदा विशेष के साथ धरोहर धनराशि जमा करने से उसकी इच्छानुसार छूट दी जाएगी और इसका स्पष्ट उल्लेख निविदा प्रपत्र पर होगा। ठेकेदार द्वारा पंजीकरण के कार्यालय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रत्येक निविदा के साथ संलग्न की जाएगी।

1–3(iv) **पंजीकरण हेतु सक्षम अधिकारी**

श्रेणी एए, ए, बी एवं सी	–	मुख्य अभियन्ता, यूपीआरएनएसएस, मुख्यालय लखनऊ।
श्रेणी डी एवं ई	–	अधिशासी/परियोजना अभियन्ता, यूपीआरएनएसएस.....

1–3(v) अधिशासी/परियोजना अभियन्ता द्वारा अपने अधीनस्थ जनपदों हेतु पंजीकरण की कार्यवाही की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में रिकार्ड रखा जाएगा। एक अधिशासी/परियोजना अभियन्ता के द्वारा पंजीकृत ठेकेदार किसी दूसरे अधिशासी अभियन्ता/परियोजना अभियन्ता के अधीन भी टेंडर डालने हेतु अनुमन्य होगें।

1–3(vi) उन अधिकारियों की सूची जो ठेकेदारों के पंजीकरण के अभिलेखों का रख–रखाव करेंगे।

क्र.सं.	ठेकेदारों की श्रेणी	अधिकारी का नाम
1.	श्रेणी–एए, ए, बी, सी	मुख्य अभियन्ता
2.	श्रेणी–डी, ई	सम्बन्धित जनपद के परियोजना अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता

संक्षिप्त टिप्पणी :–

1. प्रत्येक जनपद के परियोजना अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता अपने स्तर से पंजीकृत ठेकेदारों की संकलित सूची अन्य जनपदों एवं मुख्यालय को भेजेंगे।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर से पंजीकृत ठेकेदारों की सूची मुख्यालय के अभियन्त्रण अनुभाग से समस्त परियोजना अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को भेजेंगे।

1–4 सीमाएँ

1–4(i) उल्लिखित गुणों एवं वर्गो के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी प्रकार के एवं किसी भी परिमाण के कार्य, जो एक सूचीबद्ध ठेकेदार को सौंपे जा सकेगें, हेतु सूचीबद्धता की यह सुविधा कराई जा रही है। यह सूचीबद्ध ठेकेदार के दूसरे वर्ग के कार्यो के लिए निविदा भरने में बाधक न होगा। बशर्ते वह कार्य उस वर्ग की लागत सीमा के अन्तर्गत हो, जिस हेतु वह अधिकृत है। परन्तु उसकी निविदा की स्वीकृत से पूर्व उस कार्य से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र, जिसके लिए वह सूचीबद्ध है, जांचे जाएंगे।

1–4(ii) एक ठेकेदार एक ही मालिक की हैसियत से अधिक नाम या व्यापार तथा साझेदार की दशा में दो से अधिक नाम या व्यापार सूचीबद्ध नहीं करा सकता। परन्तु किसी प्रतिष्ठान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्यता चाहे वह सूचीबद्ध हो या न हो, इस नियम के अन्तर्गत बाधक नहीं होगी।

1–4(iii) एक ठेकेदार एक से अधिक ग्रुप में पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है एवं आवेदन में विभिन्न ग्रुपों/विभिन्न वर्गो का उल्लेख कर सकता है।

1–5 नाम वापस लेना

1–5(i) सूचीबद्ध ठेकेदार पंजीकरण सूची से अपना नाम वापस लेने के लिए आवेदन कर सकता है एवं उक्त आवेदन की स्वीकृत के उपरान्त उसका नाम पंजीकरण सूची एवं 'मेलिंग लिस्ट' से निकाल दिया जाएगा। यदि ठेकेदार ने स्थायी धरोहर धनराशि जमा की है तो वह उन सभी कार्यालयों से अदेयता/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके जहां वह निविदा देने के लिए अधिकृत था, धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नाम वापस लेने का प्रार्थना पत्र देते समय निम्न पैरा 1–7, 1–8 तथा 1–9 के अन्तर्गत ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही लम्बित हो तो ऐसी दशा में मामले के निस्तारण तक कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी।

1–5(ii) समस्त सुविधाएं एवं मान्यताएं जो ठेकेदार को प्राप्त हों, नाम वापस लेने पर समाप्त हो जाएंगी। यदि पहचान पत्र जारी किया गया होगा, तो उसे वापस करना होगा। यदि उसके द्वारा पंजीकरण पुनः करने की प्रार्थना की जाती है तो इसे नए पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र माना जाएगा।

1–6 निलम्बन

1–6(i) किसी ठेकेदार, जिसके विरूद्ध निम्नाकिंत बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही हो या धोखाधड़ी का आरोप हो, की सूचीबद्धता निलम्बित की जा सकती है और ऐसी दशा में उसे किसी भी कार्य के लिए निविदा देने की अनुमति तब तक न दी जाएगी जब तक उसके विरूद्ध लगे आरोपों की जांच नहीं हो जाती एवं वह आरोप मुक्त नहीं हो जाताः–

(क) स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा बार–बार दुराचरण।

(ख) कार्य की असन्तोषजनक प्रगति के लगातार अथवा निरन्तर दृष्टान्त।

(ग) ऋणग्रस्तता में अभ्यस्त होना।

(घ) बाजार में दुर्नाम।

(ड) अपने मजदूरों एवं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार एवं श्रम नियमों की अवहेलना।

(च) नशे की हालत में कार्यस्थल में उपस्थित होना।

(छ) निस्त स्तर का कार्य एवं सामग्री का प्रयोग करके गुणवत्ता की उपेक्षा करना।

(ज) अक्रमबद्ध तरीके से कार्य करना।

(झ) निर्गत की गई सामग्री का समायोजन समय से प्रस्तुत न करना।

(ट) यूपीआरएनएसएस अथवा अन्य सरकारी सामग्री का गबन या दुरूपयोग।

(ठ) गोपनीयता भंग करके अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य स्त्रोतों तक सूचनाएं पहुंचाना।

(ड) परिकल्पी बोली बोलना।

(ढ़) किसी क्रिमिनल केस में पुलिस द्वारा वांछित हो अथवा उस पर फौजदारी का कोर्ट केस चल रहा हो।

(ण) समय–समय पर अन्य जो आदेश दिए जायें।

1–7 सूची से हटाया जाना (Removal)

1–7(i) ऐसे ठेकेदार को जो

(क) उपरोक्त पैरा 1–6 में से किसी दोष के लिए दोषी पाया जाय, अथवा

(ख) आचरण की दुष्टता से सम्बन्धित अपराध के लिए दण्डित हुआ हो, अथवा

(ग) यूपीआरएनएसएस या उसी के समानान्तर किसी अन्य अभियन्त्रण संस्था अथवा सरकारी विभागों द्वारा काली सूची में रखा गया हो, अथवा

(घ) निम्नलिखित पैरा 1–8 में निहित अयोग्यता में आता है

पंजीकृत ठेकेदार की सूची से तुरन्त निकाल दिया जाएगा।

ऐसा आदेश करने वाला अधिकारी इस बात का स्पष्ट उल्लेख करेगा कि वह निर्णय स्थाई है या किसी निश्चित काल के लिए उचित समझा गया है। आदेश में अवधि का भी उल्लेख किया जाएगा।

एक ठेकेदार जिसका नाम इस पैरा के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदार की सूची से हटा दिया गया हो या पैरा 1–6 के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया हो, किसी क्षतिपूर्ति या हर्जाने का हकदार न होगा।